सिलिकोसिस के मरीज़ों के लिए नई उम्मीद

भारत डोगरा

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची लंबी कानूनी लड़ाई के कारण बहुत समय से उपेक्षित सिलिकोसिस के लाखों मरीज़ों के लिए नई उम्मीद जागी है कि संभवतः उन्हें राहत और इलाज की सुविधा मिलेगी। इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ने से इसके बचाव के लिए कुछ असरदार कार्यवाही होने की आशा भी बढ़ी है। यह उचित समय है कि इस स्वास्थ्य समस्या के बारे में चिंतित रहे वैज्ञानिक, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्त्ता व श्रमिक संगठन आपसी सहयोग से एक ज़ोरदार प्रयास करें ताकि इस बीमारी से प्रभावित हो चुके या होने की आशंका वाले लोगों को वास्तव में बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण राहत व सहायता मिल सके।

सिलिकोसिस सिलिका कणों वाली धूल व टूटे पत्थरों की धूल के श्वांस के साथ शरीर में पहुंचने से उत्पन्न बीमारी है जो विशेषकर पत्थर के खनन, रेत-बालू के खनन, पत्थर तोड़ने के क्रशर, कांच के उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग, पत्थर को काटने व रगड़ने जैसे उद्योगों के मज़दूरों में पाई जाती है। जहां यह काम बड़े पैमाने पर होता है (जैसे बड़े स्टोन क्रशर), वहां कार्यरत मज़दूरों के अलावा आसपास रहने वाले गांववासी भी सिलिकोसिस से प्रभावित हो सकते हैं। समय-समय पर देश के विभिन्न भागों से इस बारे में चिंताजनक समाचार मिलते रहते हैं। इस बीमारी से प्रभावित लोग व इससे प्रभावित होने के ज़ोखिम की स्थिति में रह रहे लोगों की संख्या लाखों में हैं। इस बीमारी से पीड़ित लोग तपेदिक के मरीज़ों से मिलते-जुलते कुछ कष्ट सहते हैं और यह बीमारी अनेक मज़दूरों के लिए जानलेवा सिद्ध होती है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय व श्रम मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि इस स्वास्थ्य समस्या की ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त करने के लिए वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पूरी सहायता करें। इस क्षेत्र में आयोग पहले से कार्य कर रहा है व सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि उसके माध्यम से सिलिकोसिस प्रभावित जिन व्यक्तियों की पक्की जानकारी मिलेगी उनकी चिकित्सा की तुरंत व्यवस्था उक्त दो मंत्रालय करेंगे। इसी तरह जिन व्यक्तियों की मृत्यु इससे हुई है, उनके लिए मुआवज़े की व्यवस्था करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2009 को दिए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के इन निर्देशों के आधार पर इतना तो कहा जा सकता है कि कम से कम ऐसी संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं कि बड़ी संख्या में सिलिकोसिस से प्रभावित उपेक्षित मज़दूरों के इलाज की व्यवस्था होंगी और इससे मरने वाले अनेक व्यक्तियों के परिवारों को सहायता मिलेगी।

इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत प्रसार संस्था के एस.ए. आजाद ने की थी। इस सामाजिक कार्यकर्त्ता ने दिल्ली के लाल कुआं क्षेत्र में सिलिकोसिस से बड़ी संख्या में प्रभावित व्यक्तियों के लिए बहुत संघर्ष किया, जिसके फलस्वरूप दिल्ली सरकार ने यहां बड़ी संख्या में सिलिकोसिस के मरीज़ों की हकीकत को स्वीकार किया है। उनके इलाज के लिए प्रयास आरंभ हुए हैं, मोबाइल क्लीनिक की गाड़ियां दौड़ रही हैं व स्थाई अस्पताल भी बन रहा है। जहां इस तरह की राहत की ज़रूरत अनेक अन्य स्थानों पर भी है, वहां यह भी बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी की रोकथाम से ज़रूरी कदम उन विभिन्न खनन व औद्योगिक केन्द्रों व उनके आसपास उठाए जाएं जिनमें इस बीमारी का खतरा है। ***(स्रोत फीचर्स)***